



JALAUN POLICE

दिनांक – 24.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 56,000-56,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित की घटना के संबन्ध में कोतवाली उरई में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 16.10.2020 को मु०अ०सं० 772/2020 (वाद संख्या 68/20) धारा 376D/323/506 भादवि 5GL/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 1- नीरज सैनी उर्फ कालका प्रसाद पुत्र विनोद सैनी 2. गौरव उर्फ दीपेन्द्र सोनी पुत्र उदय सोनी निवासीगण मो० राजेन्द्र नगर कोतवाली उरई जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण को दिनांक 17.10.2020 को गिरफ्तार कर मान० न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 03.12.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 24.01.2025 को मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1- नीरज सैनी 2. गौरव सोनी उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 56,000-56,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।